

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021—फाल्गुन 28, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 फरवरी 2021

क्रमांक ई 1-12/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2008 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2021 से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान Pay Matrix Level-13 में नियुक्त करता है तथा तालिका के कॉलम 4 में उनके नाम के सम्मुख दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री भीम सिंह, (सी.जी: 2008)	कलेक्टर, जिला-रायगढ़	कलेक्टर, जिला-रायगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री नीरज कुमार बनसोड, (सी.जी: 2008)	संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
3.	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, (सी.जी: 2008)	नियंत्रक, नाप-तौल तथा अति. प्रभार संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	नियंत्रक, नाप-तौल तथा अति. प्रभार संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
4.	श्री सत्यनारायण राठौर, (सी.जी: 2008)	कलेक्टर, जिला-कोरिया	कलेक्टर, जिला-कोरिया
5.	श्री महादेव कावरे, (सी.जी: 2008)	कलेक्टर, जिला-जशपुर	कलेक्टर, जिला-जशपुर
6.	श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, (सी.जी: 2008)	संयुक्त सचिव, कृषि विभाग तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित	विशेष सचिव, कृषि विभाग तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
7.	श्री श्याम लाल धावडे (सी.जी: 2008)	कलेक्टर, जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	कलेक्टर, जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज
8.	श्री नीलकंठ टीकाम, (सी.जी: 2008)	संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन	संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन
9.	सुश्री शारदा वर्मा, (सी.जी: 2008)	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, बजट, आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, बजट, आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

2. कंडिका-1 के सारणी के सरल क्र. एवं 3 में उल्लेखित अधिकारियों द्वारा नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत उक्त असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

3. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11030/4/2017-AIS-II, दिनांक 31-12-2020 द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु 05 संवर्गीय तथा 05 असंवर्गीय पदों की रिक्तियों का निर्धारण किया गया है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मार्च 2021

क्रमांक ई 1-03/2021/एक-2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2020 बैच के निम्नलिखित परीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति उपरांत राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदस्थापना स्थल (3)
1.	श्री अभिषेक कुमार	रायपुर
2.	श्री हेमंत रमेश नंदनवार	दुर्ग
3.	श्री कुमार बिश्वरंजन	बिलासपुर

(1)	(2)	(3)
4.	श्री प्रतीक जैन	रायगढ़
5.	सुश्री सुरुचि सिंह	बस्तर
6.	सुश्री श्वेता सुमन	सरगुजा, अंबिकापुर

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021

क्रमांक 610/एफ 1-7/33/1/चयन समिति/ऊ. वि./2020.—विभाग के आदेश क्रमांक 1878/एफ 1-7/13/1/चयन समिति/ऊ. वि./2007 दिनांक 06 जुलाई, 2018 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के चयन हेतु चयन समिति का गठन किया गया है।

2. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, 2003) की धारा-85 की उपधारा-1 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के चयन हेतु चयन समिति के गठन हेतु जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार चयन समिति का गठन करती है :-

क्र.	नाम एवं पदनाम	समिति में पद
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नवा रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021

क्रमांक 612/एफ 1-7/33/1/चयन समिति/ऊ. वि./2020.—विभाग के आदेश क्रमांक 1827/एफ 1-7/13/1/चयन समिति/ऊ. वि./2007 दिनांक 30 जून, 2018 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के चयन हेतु चयन समिति का गठन किया गया है।

2. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, 2003) की धारा-85 की उपधारा-1 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के चयन हेतु चयन समिति के गठन हेतु जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार चयन समिति का गठन करती है :-

क्र.	नाम एवं पदनाम	समिति में पद
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).— भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (1932 का नंबर-9) की धारा-57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-12-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट उप पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं एवं सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है ताकि वे उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे :-

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम/पदनाम (2)	अधिकारिता (3)	राजस्व संभाग (4)
1.	श्री आर.आर. राजभानू उप पंजीयक	रायपुर संभाग	रायपुर संभाग
2.	श्री एन. के. नारनवरे, सहायक पंजीयक	बस्तर संभाग	बस्तर संभाग

- इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.
- उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	जरहाडीह प.ह.नं. 22	6.159	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.).	असकला-बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

174

0.60

184

0.13

446

0.22

गरियाबंद, दिनांक 15 फरवरी 2021

भूअर्जन प्रकरण क्रमांक 201808221800001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि की छैला व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-मैनपुर

(ग) नगर/ग्राम-चिखली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर

योग

03

0.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छैला व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2021

क्रमांक 71/दो-3-29/2012.—श्रीमती सुषमा सावंत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15-02-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 को आलोक में प्रदान की जाती है।

हस्ता./—

आर. पी. देवागन
लेखाधिकारी.